उत्तर प्रदेश शासन
परिवहन अनुभाग-4
संख्या-3/2015/469/तीस-4-2015-8(23)/2013
लखनऊ: दिनांक 08 मई, 2015

<u>अधिसूचना</u>

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10, सन् 1897) की धारा 21 [redacted] मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59, सन् 1988) की धारा 65 के अधीन शक्ति [redacted] राज्यपाल सन् 1988 के उक्त अधिनियम की धारा 212 की उपधारा (1) के अधीन [redacted] के पत्र संख्या-35(जी)एसटीए/2015, दिनांक 23 फरवरी,2015 के अनुसरण में प्राप्त [redacted] पर विचार करने के पश्चात् उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 में संशोधन करने [redacted] से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

उत्तर प्रदेश मोटरयान (अठारहवां [redacted]

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1- (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश मोटरयान (अठारह[redacted]) नियमावली, 2015 कही जायेगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक [redacted]

नियम-124ख का संशोधन

2- उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 में, [redacted] में, खण्ड (चार) में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान उप खण्ड (क) के स्थान पर, स्तम्भ-2 [redacted] उप खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्

स्तम्भ-1	स्तम्भ-2
विद्यमान उप खण्ड	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उप खण्ड
(क) लाये जाने के समय ऐसा [redacted] बिल्कुल नया होना चाहिए।	(क) लाये जाने के समय 50 प्रतिशत वाहन बिल्कुल नये और 50 प्रतिशत वाहन परिवहन आयुक्त द्वारा निर्धारित आयु सीमा से अधिक पुराने नहीं होने चाहिए।

आज्ञा से,

कुमार अरविन्द सिंह देव
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-3/2015/469(1)/तीस-4-2015 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना को दिनांक 08 मई, 2015 के असाधारण गजट के परिशिष्ट, भाग-4, खण्ड (क) (सामान्य परिनियम नियम) में प्रकाशित करवाने तथा प्रकाशित अधिसूचना की 500 प्रतियॉं परिवहन अनुभाग-4, कक्ष संख्या-320, बापू भवन, उत्तर प्रदेश सचिवालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(संतोष [redacted])
[redacted]।

संख्या-3/2015/469(2)/तीस-4-2015 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2- समस्त संभागीय परिवहन अधिकारी/सहायक संभागीय परिवहन [redacted] प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
3- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन [redacted])।
4- विधायी अनुभाग-1
5- सचिव, भारत सरकार, सड़क परिवहन एवं [redacted] भवन, 1-संसद मार्ग, नई दिल्ली।
6- अध्यक्ष, स्टेट ट्रासंपोर्ट अपीलेट ट्रिब्यूनल, [redacted] लखनऊ।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संतोष कुमार रावत)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।